[19/12/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1451]

परि. - 31

कार्यालय नगर परिषद् केवलारी जिला सिवनी(म.प्र.)

प्रस्ताव एवं संकल्प बैठक दिनांक– 03 / 06 / 2021

प्रस्ताव कमांक–05	संकल्प कमांक–05
ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु रिक्त शासकीय भूमि आवंटन के संबंध में विचार एवं निर्णय।	प्रकरण प्रस्तुत मुख्य नगर पालिका के द्वारा प्रशासक महोदय के समक्ष ट्रेचिंग गाउंड (कचरा डम्प) नगरीय क्षेत्रांतर्गत निकलने वाले कचरे को डम्प हेतु रिक्त शासकीय भूमि लगभग 3 से 10 एकड़ तक रिक्त शासकीय भूमि की आवश्यकता है अतः आपके अधिनस्थ रिक्त शासकीय भूमि के खसरा नक्शा सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करे ताकि शासन की योजनांतर्गत रिक्त शासकीय भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सके मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद केवलारी आवश्यक पत्राचार एवं कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

सही/-
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद केवलारी
जिला सिवनी (म.प्र.)

प्रशासक
नगर परिषद् केवलारी
जिला सिवनी (म०प्र०)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

(हिमांशु सिंह)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

परि. – ब

राजस्व आदेश पत्र अनुपूर्ति–पत्र
न्यायालय कलेक्टर सिवनी

प्रकरण क्रमांक 0002 / अ:20(5)2023–2024

1	2	3
21/02/2024	1–प्रकरण प्रस्तुत । 2–प्रकरण जिला नजूल निर्वतन समिति सिवनी से प्राप्त । 3–प्रकरण का अवलोकन किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपरिषद केवलारी द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6–75 / 2019 / सात / शा.3 भोपाल दिनांक 24 सितंबर 2020 में वर्णित मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश, 2020 के अध्याय दो की कंडिका 12 के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पनवास प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7.28 हे0 मे से 5.28 हे0 भूमि की मांग कचरा निस्तारण हेतु नगरीय प्रशासन विभाग को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया है। 4–जिला नजूल निर्वतन समिति, सिवनी द्वारा उनके प्रस्ताव 63 दिनांक 12 / 02 / 2024 के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम पनवास प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7.28 हे0 मे से 5.28 हे0 भूमि की मांग कचरा निस्तारण हेतु नगरीय प्रशासन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 में वर्णित प्रावधानों के तहत नगरीय प्रशासन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति दी गई है। 5–अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 12.02.2024 में लेख है कि ग्राम पनवास प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7.28 हे0 मे से 5.28 हे0 भूमि की मांग कचरा निस्तारण हेतु नगरीय प्रशासन विभाग हेतु की गई है । उपरोक्त भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में मद घास दर्ज है । प्रश्नाधीन भूमि मौके पर रिक्त है। अधिकार अभिलेख में घास हेतु दर्ज होकर मिसल बंदोबस्त में मद घास में दर्ज है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी द्वारा आवेदित भूमि ग्राम पनवास प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7.28 हे0 मे से 5.28 हे0 भूमि की मांग कचरा निस्तारण हेतु नगरीय प्रशासन विभाग को आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है । 6–तहसीलदार द्वारा उनके प्रतिवेदन दिनांक 12 / 02 / 2024 में लेख किया गया है कि प्रकरण का पंजीयन किया जाकर इश्तेहार का प्रकाशन कराया गया। समय सीमा पर कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं। ग्राम पनवास प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7.28 हे0 मे से 5.28 हे0 भूमि की मांग कचरा निस्तारण हेतु नगरीय प्रशासन विभाग के लिये उपयुक्त है। उक्त संबंध में ग्राम पंचायत का अभिमत लिया गया । भूमि आवंटन के संबंध में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया गया जिसके अनुसार ग्राम की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है–	

1	ग्राम का कुल रकबा	229.48
2	ग्राम में खाते का कुल रकबा	204.51
3	ग्राम में चराई का कुल रकबा	14.43
4	ग्राम में खाते के रकबे में से 7.5 प्रतिशत के मान से रकबा	15.33
5	ग्राम में खाते के रकबे में से 2 प्रतिशत के मान से रकबा	4.09

6. प्रश्नाधीन भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है। उसमें कोई भी धार्मिक इमारत मंदिर, मस्जिद, कब्रस्तान आदि निर्मित नहीं है।

8. प्रश्नाधीन भूमि विभाग को आवंटन से ग्राम का न्यूनतम चराई का रकबा प्रभावित नही होगा।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार केवलारी द्वारा उक्त भूमि आवेदित विभाग को आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी के माध्यम से इस न्यायालय में भेजा गया है।

उपरोक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड का मेरे द्वारा परिशीलन किया गया जिसमें उक्त प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान अभिलेख में घास दर्ज है निस्तार अधिकार अभिलेख अनुसार घास हेतु दर्ज होकर मिसल बंदोबस्त में भी घास दर्ज होना होना पाया गया है ।

प्रकरण का अवलोकन उपरांत तथा जिला नजूल निर्वतन समिति सिवनी की स्वीकृति एवं अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) केवलारी द्वारा की गई जॉच एवं अनुशंसा से सहमत होते चूंकि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में घासदर्ज है प्रश्नाधीन ग्राम पनवास प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0

(हिमांशु सिंह)   अनुभाग अधिकारी

पूर्व पृष्ठ से लगतार:–
केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7.28 हे0 मे से 5.28 हे0 भूमि की मांग कचरा निस्तारण हेतु नगरीय प्रशासन विभाग हेतु उपयुक्त होने से म०प्र०भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 में वर्णित प्रावधानों के तहत ग्राम पनवास प0ह0नं0 17 रा0नि0मं0 केवलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 52 रकबा 7.28 हे0 मे से 5.28 हे0 भूमि मद धारा से पृथक की जाकर म०प्र० राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 6–75 / 2019 / सात / शा. 3 भोपाल दिनांक 25 सितम्बर, 2020 अनुसार मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 16 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय प्रशासन विभाग को निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तांतरित की जाती है

(1) उक्त हस्तांतरित भूमि का उपयोग उक्त निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा ।

(2) मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद केवलारी का यह दायित्व होगा कि वह म0प्र0 नगरपालिका विधि संहिता अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में निर्मित नियम, उपबंधो , मापदण्डो , दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करने एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पालन करें । करने संबंधी वचन पत्र संपादित कराने पश्चात ही राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने तथा वचन पत्र एवं संशोधित अभिलेख सहित प्रकरण इस न्यायालय को वापस किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी बरघाट को भेजा जावे ।

(3) शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तो के पालन का परीक्षण करने के लिए कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

आदेश की प्रति आवेदित आयुष विभाग अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार की ओर भेजी जावे । साथ ही तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे म0प्र0 नगरपालिका विधि संहिता अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में निर्मित नियम, उपबंधो, मापदण्डो , दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करने एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पालन करने संबंधी वचन पत्र संपादित कराने पश्चात ही राजस्व अभिलेख दुरूस्त करें तथा आवेदित विभाग को कब्जा सौपने हेतु अनुविभागीय अधिकारी केवलारी को भेजा जावे ।

कलेक्टर
सिवनी

अनुविभागीय अधिकारी
केवलारी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
...विकास एवं पर्यावरण विभाग

प्रतिलिपिः–

1–अनुविभागीय अधिकारी केवलारी को सूचनार्थ ।

2– मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद केवलारी को सूचनार्थ ।

3– तहसीलदार केवलारी को सूचनार्थ ।

न्यायालय कलेक्टर सिवनी